

**अनुमति की शर्तें ।**

- (i) जहां भवन / सुसज्जित के निर्माण की स्वीकृति स्थापित रिजल नहीं करती है ।
- (ii) विपरीत को प्रसार का विवाद (व्यक्तिगत, राजनीतिक, जातिगत या अन्य) होने की शिकायत न मिले या कोई चरित्रवाचिक नतीजा प्राप्त न हो बिना किसी स्वीकृति के फिर प्रसारवादी होगा ।
- (iii) नगर निगम कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदन निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नकले को विपरीत निर्माण कार्य जाने पर स्वीकृत विरल की जा सकती है ।

एकल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 614 दिनांक 03/07/2020

श्री जयराज शर्मा जी व श्री लक्ष्मण जी

से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्माण राशि रुपये 54481-जमा

करिये रसीद संख्या 9069/6928, 6929

दिनांक 03/07/2020 को जमा करा दी है ।

दिनांक 03/07/2020

सहायक नगर निरीक्षक  
नगर निगम, जोधपुर

*(Handwritten Signature)*

(जयराज शर्मा) 8824614009

जी + 1  
आवासीय

P.No = 14/899 चौपासी इन्फिनिटी बोर्ड